राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ.4(249) पराविं/पीसी/जेजेवाई/विधुत कनेक्शन/2016/616 जयपुर,दिनांक 16.3.17

अध्यक्ष,
विधुत वितरण कम्पनी,
विधुत भवन, जयपुर

विषयः—ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं के बकाया विधुत बिलों के भुगतान बाबत।

संदर्भः—आपका अ0शा0 पत्र कमांक JPD/Chairman-Discoms/Rev. F./2434 दिनांक 28.2.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं के 121.90 करोड़ रू0 के बकाया विधुत बिलों के भुगतान हेतु सूचित किया गया है। इस कम में निवेदन है कि पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय कार्यों हेतु केन्द्रीय एवं राज्य वित्त ओग मद की अभिशंसा के अनुसार पर्याप्त अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है। पेयजल योजनाओं को प्रथम प्राथमिकता दी हुई है। अतः ग्राम पंचायतें विधुत बिल की राशि उनको प्राप्त अनुदान राशि से जमा कराने में स्वतंत्र एवं सक्षम हैं। उल्लेखनीय है कि माह जनवरी 2017 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के पास लगभग 2361 करोड की राशि अवशेष है एवं इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग मद में पंचायती राज संस्थाओं को लगभग 1453.81 करोड की राशि वर्ष 2016—17 में शीघ्र ही जारी की जावेगी।

बकाया बिलो के भुगतान हेतु विभागीय समसंख्यक पत्रांक ५।४३ दिनांक 13.10.16 के द्वारा पुनः निर्देशित कर दिया गया है, जिसकी एक प्रति आपके संदर्भ हेतु पुनः संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में की पेयजल योजनाओं के बकाया विधुत बिलों की वसूली के संबंध में डिस्कोम के संबंधित अधिकारियों को ग्राम पंचायत/पंचायत समिति से संपर्क करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें ।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

E:\PA To SBI ...

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141–2227884, ई–मेल Seprd123@gmail.com

क्रमांकः– एफ 4 (244) पराविं/पीसी/जजयो/विद्युत व्यय/2016/4183 जयपुर, दिनांकः– 13.10.16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त।

विषयः–पेयजल योजनाओं के विद्युत बिलों के भुगतान बाबत।

संदर्भः–विभागीय पत्रांक 854 दिनांक 07.05.2015 पत्रांक 1234 दिनांक 24.06.2015 पत्रांक 1528 दि. 03.08.2015 पत्रांक 2334 दि. 04.12.2015 पत्रांक 1011 दि. 28.04.2016, 2368 दि. 1.8.2016 एवं 2672 दि. 23.8.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों/स्मरण पत्रों एवं समीक्षात्मक बैठकों के दौरान लगातार निर्देशित किया जाता रहा है कि ग्राम पंचायतो द्वारा पेयजल योजनाओं के विद्युत बिलों का भुगतान उनको प्राप्त अनुदान राशि से किया जायेगा।

विभागीय पत्र क्रमांक 854 दिनांक 07.05.2015 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिए हुये है, कि सरपंच द्वारा चेक पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति में विकास अधिकारी द्वारा चेक पर हस्ताक्षर किये जावे **[पंचायती राज नियम 1996 का नियम 211(2)]**। वर्ष 2016–17 में FFC मद में प्रथम किस्त की राशि रूपये 1019 करोड़ जारी की जा चुकी है एवं SFC की किस्त भी शीघ्र ही जारी करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। दिनांक 1.8.2016 को पंचायती राज संस्थाओं के पास 2361 करोड से अधिक अनुदान राशि अवशेष है (जिलेवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है)। इसके अतिरिक्त PHED से हस्तान्तरित जनता जल योजनाओं के विद्युत बिलो के भुगतान हेतु वर्ष 2015–16 में SFC मद में राशि रूपये 181.81 करोड जारी की गई थी जिसमें से जिलों के पास माह अप्रेल 2016 में लगभग 90 करोड रूपये अवशेष थी। **इस प्रकार पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के उपरान्त भी विद्युत बिलो की बकाया राशि का भुगतान नही होना विभागीय आदेशों की अवहेलना दर्शाता है एवं खेदजनक है।**

इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि:–

1. विकास अधिकारी द्वारा सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता डिस्कॉम से ग्राम पंचायत वार बकाया दायित्वों की नवीनतम सूचना प्राप्त कर संबंधित ग्राम सेवक को तत्काल उपलब्ध कराई जावे।
2. स्वयं ग्राम पंचायतों द्वारा स्थापित पेयजल योजनाओं, ग्राम पंचायतों की सहमति /अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर या अन्य विकास योजनाओं में पीएचईडी द्वारा स्थापित पेयजल योजनाओं (जो स्थापना के पश्चात् संचालन हेतु ग्राम पंचायतो को सुपूर्द कर दी गई है अथवा सुपूर्द नही की गयी है किन्तु ग्रामीण जनता द्वारा इनसे
3. लाभ लिया जा रहा है) के विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा तत्काल किया जावे। **ग्राम पंचायत के पास SFC/FFC मदों में अनुदान राशि उपलब्ध होने पर भी भुगतान नही होने पर इसे विकास अधिकारी की शिथिलता माना जावेगा।** सरपंच द्वारा चैक पर हस्ताक्षर नहीं करने की स्थिति में विकास अधिकारी चेक पर हस्ताक्षर करेगें।

4. विद्युत बिलों के भुगतान अथवा बिल राशि में किसी प्रकार का विरोधाभाष/संशोधन अपेक्षित होने पर अधीक्षण अभियन्ता, डिस्कॉम SE PHED एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा संयुक्त रूप से चर्चा कर समस्या का निस्तारण किया जावे। जिन बिलों की राशि या विद्युत कनेक्शन पर कोई विरोधाभाष नही है, उनका तत्काल भुगतान किये जावे।
5. पेयजल योजनाओं के विद्युत बिलों का भुगतान नियमित रूप से निर्धारित अवधि में सुनिश्चित किया जावे। समय पर भुगतान न होने की स्थिति में डिस्कॉम द्वारा पेयजल स्त्रोत का कनेक्शन विच्छेद कर दिये जाने पर इसका उत्तरदायित्व पंचायत का होगा। विलम्ब से भुगतान करने पर देय सरचार्ज /पेनल्टी सम्बन्धित ग्राम सेवक व सरपंच द्वारा व्यक्तिशः वहन की जावेगी।
6. यदि कोई जल स्त्रोत निजी उपयोग में लिया जा रहा है या उसका दूरूपयोग हो रहा हो तो उसका चिन्हीकरण किया जावे एवं इसकी स्वीकृति एवं स्थापना करने वालों से जल स्त्रोत की लागत राशि की वसूली की जावे।
7. ऐसी योजनाओं के विद्युत कनेक्शन तत्काल विच्छेद कराये जावें जिनके जल स्त्रोत सूख गये है अथवा योजना अनुपयोगी हो गई है।
8. जो योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित हो गई है किन्तु बिजली के बिल पीएचईडी के नाम से प्राप्त हो रहे है, उनके विद्युत कनेक्शन शीघ्र ग्राम पंचायतों के नाम कराये जावें।
9. ऐसी कोई भी पेयजल योजनाएं/जल स्त्रोत जिनसे जनता को पेयजल वितरित किया जा रहा है परन्तु जिन पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिक रूप से विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है, पर तत्काल कनेक्शन के लिए आवेदन किया जावे।
10. PHED से हस्तान्तरित 6523 जनता जल योजनाओं के विद्युत बिलों के भुगतान हेतु जिला परिषदो को वर्ष 2015–16 में राशि रूपये 181.81 करोड हस्तान्तरित की गई थी जिसमें से बकाया देयताओं का भुगतान करने के पश्चात् वर्ष 2016–17 में लगभग राशि रूपये 90 करोड़ अवशेष उपलब्ध थी। उक्त राशि से जनता जल योजनाओं के चालू वर्ष में प्राप्त होने वाले विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल करने एवं आवश्यकता होने पर अतिरिक्त राशि की मांग मुख्यालय को भिजवाने हेतु पत्र दिनांक 21.6.2016, 4.7.2016, 8.7.2016, 21.7.2016 एवं 19.8.2016 के द्वारा अनुरोध किया गया। अतः अतिरिक्त राशि की मांग होने अथवा नही होने से तत्काल अवगत करावे।
11. डिस्कॉम द्वारा बिल भुगतान के अभाव में पेयजल योजनाओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेद किया जाता है अथवा अवैध कनेक्शन के कम में यदि विधिक कार्यवाही की जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरपंच/सचिव का होगा तथा विकास अधिकारी कमजोर पर्यवेक्षण के लिए दोषी होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार बकाया राशि का तत्काल भुगतान कराते हुये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:–

1. निजी सचिव, चैयरमेन, डिस्कॉम।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उर्जा विभाग।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता